रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 2000 (माघ 16, 1921)
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 2000 (MAGHA 16, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

लोक ऋण कार्यालय

मुंबई-400 001, दिनांक 1 जनवरी, 20000

सं० लोऋका/20-14-02/औद्योगिक वित्त निगम बांड—औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 (1948 का 15 वां) के खंड 43 अंतर्गत बनायी गयी औद्योगिक वित्त निगम (बांड निर्गम) विनियमावली 1949 के विनियम 10 के अनुसरण में दिनांक 31 दिसम्बर 1999 को समाप्त हुए छः माहों के लिए प्राप्त हुए आदि बांडों की निम्नलिखित सूची इसके साथ प्रकाशित की जा रही है, जिसके संबंध में प्रथम दृष्टया यह मानने के लिये आधार है कि ये बांड खो गये हैं और आवेदकों के दावे न्याय संगत हैं। जिन दावेदारों के नाम नीचे दिये गये हैं, उनसे भिन्न यदि किसी व्यक्ति को इन बांडों पर कोई भी दावा करना हो तो वे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय, मुंबई 400001 से तत्काल संपर्क करें। यह सूची दो भागों में विभाजित की गयी है, भाग क उन प्रतिभूतियों की सूची है, जिनका विज्ञापन पहली बार किया जा रहा है और भाग ख उन प्रतिभूतियों की सूची है जिनका विज्ञापन पहले किया जा चुका है।

प्रतिभूति की संख्या	मूल्य रु०	निम्नलिखित के नाम जारी	निम्नलिखित दिनांक से ब्याज देय	चुकौती मूल्य के भुगतान/डुप्लीकेट जारी करने और उपचित ब्याज के भुगतान के लिए दावेदार के नाम	जारी किये गये आदेशों की संख्या और दिनांक	प्रकाशन की वह तिथि जब प्रतिभूति का पहले उल्लेख किया गया
1	2	3	4	5	6	7

सूची क—कुछ नहीं ।

सूची ख—7.25 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 1997

1.	बी वाई—000908 बी वाई—000910	3,00,000/— (3×1,00,000)	ए एन ग्रेड ग्रिंडलेज बैंक	29—9—1995	मधुर कैपिटल और फायनान्स लि०, अहमदाबाद	मामला सं० 31—07—1999 20.04.2075 महाप्रबंधक के दिनांक 3—3—1999 के आदेश तथा उसी दिनांक की केन्द्रीय कार्यालय डायरी सं० 718

13 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड, 2008 (64 वी शृंखला)

1	बी वाई 000077 बी वाई 000082	60,00,000/— (6×10,00,000)	भारतीय रिजर्व बैंक	28-1-1996	न्यासी, भारत पेट्रोलियम निगम लि० की उपदान निधि	मामला सं० 14—02—1998 20—04—2034 महाप्रबंधक के दिनांक 8—1—1998 के आदेश और केंद्रीय कार्यालय डायरी सं० 404 दिनांक 12—1—1998

(अे० वी० तेलंग)
महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्रीय निदेशक

कृते प्रबंधक
श्री व्ही० वी० शिकारखाने, सं० प्र०

देना बैंक प्रधान कार्यालय

मुम्बई-400005, दिनांक 28 दिसम्बर 1999

सं० औ० सं० संशो-1/99/--बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों अभिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देना बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनता है अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ .

(1) इन विनियमों को देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1998 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 मे विनियम 38, निम्नलिखित विनियम द्वारा प्रतिस्थापित होगा, अर्थात् .--

38 नीचे किये गये प्रावधान को छोड़कर किसी अधिकारी के खाते मे जमा सभी अवकाश त्यागपत्र, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, कार्यमुक्ति, बर्खास्तगी अथवा सेवा समाप्ति पर लुप्त हो जायेंगे :

शर्त यह है कि किसी अधिकारी के बैंक सेवा से निवृत्त होने पर वह अपने द्वारा संचित अधिकतम 240 दिनों के अर्जित अवकाश की किसी भी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की रकम भुगतान किये जाने का पात्र होगा :

यह भी शर्त है कि सेवारत रहने के दौरान किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसकी मृत्यु की तिथि को उसके खाते मे जमा अधिकतम 240 दिनों के अर्जित अवकाश की अवधि की परिलब्धियों के बराबर की रकम उसके कानूनी प्रतिनिधियों को देय होगी।

पाद --टिप्पणी : उपर्युक्त विनियमो में इसके पूर्व किये गये संशोधन निम्नलिखित के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे :

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक

पुरुषोत्तम कुमार,
महाप्रबन्धक (सहायक सेवायें)

दिनाक 28 दिसम्बर 1999

सं० औ० सं० संशो०-2/99:--बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए देना बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को और अधिक संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. (1) इन विनियमो के देना बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1999 कहा जायेगा।

(2) इन विनियमों में किये गये अन्यथा प्रावधान को छोड़ कर ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. देना बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 मे,

(क) विनियम 12 में उप-विनियम (3) के उपरान्त निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :--

(4) किसी ऐसे अधिकारी को,

(क) जिसने उप विनियम (1) में वर्णित विकल्प का प्रयोग किया था, और

(ख) जो फरवरी, 1984 के प्रथम दिन के बाद भी, नियत तिथि के तत्काल पूर्व उसे लागू होने वाले वेतन एवं भत्तो का आहरण करता आ रहा था, और

(ग) जो अप्रैल, 1997 के पहले दिन या उसके बाद भी बैंक की नियमित सेवा में है,

अप्रैल, 1997 के दिन या उस दिन से इन विनियमो के अधीन लागू होने वाले वेतन और भत्तो का विकल्प चुनने की अनुमति दी जा सकेगी,

ऐसे विकल्प का प्रयोग करने पर, उसका वेतन इस ढंग से नियत किया जायेगा कि 1-4-1997 के दिन उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ते सहित विनियम 4(2) में यथावर्णित वेतन, 31-3-1997 के दिन उप-विनियम (2) के अनुसार आहरित किये जा रहे विद्यमान संवेतन (अर्थात् वेतन धन महंगाई भत्ता) के सन्निकट हो।

(ख) विनियम 23 मे

(1) उप विनियम (3) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :--

शर्त यह है कि अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और से इस उप-विनियम के प्रावधान उसी रूप मे प्रभावी होंगे जैसे कि 'रु० 40/- रु० प्रति माह या, 25/- प्रति माह में प्रयुक्त अक्षरों, अंकों और शब्दों को क्रमशः रु० 125/- प्रति माह या 'रु० 100/- प्रति माह' अक्षरों, अंकों और शब्दों से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो।

(2) उप-विनियम (4) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :--

'शर्त यह है कि अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और से इस उप-विनियम के प्रावधान उसी रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि 'रु० 150/- प्रति माह'

में प्रयुक्त अक्षरों और अंकों को क्रमशः 'रु० 300/– प्रति माह' अक्षरों और अंकों में प्रति स्थापित कर दिया गया हो।

(3) उप-विनियम (5) में दूसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'शर्त यह है कि अप्रैल 1997 के प्रथम दिन को और से इस उप–विनियम के प्रावधान इस रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि.—

(क) 'रु० 700/— में प्रयुक्त अक्षरों और अंकों को 'रु० 1000/— अक्षरों और अंकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो।

(ख) पहले और दूसरे परन्तुक में दोनों स्थानों पर आने वाले 'रु० 350/— में प्रयुक्त अक्षरों और अंकों को 'रु० 500/— अक्षरों और अंकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो।

(4) उप–विनियम (7) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'शर्त यह है कि वित्तीय वर्ष 1997–98 के दिन को और से इस उप-विनियम के प्रावधान इस रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि रु० 150/— में प्रयुक्त अक्षरों और अंकों को 'रु० 250/— अक्षरों और अंकों से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो।

(4) उप-विनियम (5) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'शर्त यह है कि अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और से इस उप विनियम के प्रावधान इस रूप में प्रभावी होंगे जैसे कि 'रु० 35/— प्रति माह' में प्रयुक्त अक्षरों और अंकों को 'रु० 70/— प्रति माह' अक्षरों और अंकों में प्रतिस्थापित कर दिया गया हो।

(ग) विनियम (32) में उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

'वर्ष 1997 में या उसके उत्तरवर्ती वर्ष में प्राप्त न किया गया आकस्मिक अवकाश बाद वाले तीन वर्षों में बीमारी अवकाश के साथ पहले या बाद में जोड़ा जा सकता है।'

(घ) विनियम (42) में

(i) उप-विनियम 2(1) में वर्णित '1-7-1993 के दिन और से' में प्रयुक्त शब्दों और अंकों को '1-7-1993 के दिन और से किन्तु 1-4-1997 के पूर्व' शब्दों और अंकों में प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

(ii) उप-विनियम 2(i) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

'2(i) (क) अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन को और से स्थानान्तरण पर किसी अधिकारी को मालगाड़ी द्वारा अपने सामान की ढुलाई पर हुए खर्च की निम्नलिखित सीमाओं तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

वेतन श्रेणी	जहां अधिकारी का परिवार हो	जहां अधिकारी का परिवार न हो
1	2	3
रु० 4250 प्रति माह से रु० 6210 प्रति माह तक	3000 कि० ग्रा०	1500 कि० ग्रा०
रु० 6211 प्रति माह और उससे अधिक	पूरा वैगन	2500 कि० ग्रा०

(iii) उप-विनियम (3) में '1-1-1987 को और से' शब्द और अंक '1-1-1987 को और से किन्तु 1-4-1997 के पूर्व' शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित होंगे।

(iv) उप-विनियम 3 के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा :—

3(क) 'अप्रैल, 1997 को और से स्थानान्तरण पर कोई भी अधिकारी पैकिंग, स्थानीय ढुलाई, सामान का बीमा कराए जाने आदि से सम्बन्धित खर्चों के लिए नीचे दर्शायी गई सीमा तक की एकमुश्त रकम प्राप्त करने का पात्र होगा :—

श्रेणी	एकमुश्त रकम
1	2
शीर्ष कार्यपालक एवं वरिष्ठ प्रबंधन	रु० 5000/–
मध्य प्रबंधन एवं कनिष्ठ प्रबंधन	रु० 4000/–

पाद-टिप्पणी :—उपर्युक्त विनियमों में इसके पूर्व किए गए संशोधन नीचे दर्शायी गयी तिथियों सहित अधिसूचना संख्याओं के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे :—

क्र० सं०	अधिसूचना सं०	दिनांक
1.	13	26-3-1988
2.	14	4-4-1992
3.	41	12-10-1996

पुरुषोत्तम कुमार,
महा प्रबंधक (सहायक सेवाएं)

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
मुम्बई

शुद्धि-पत्र
परिशिष्ट–1

क्रमांक	गजेट की पृष्ठ संख्या	सदर्भ	त्रुटि	सुधार
1	2	3	4	5
1	3416	प्रारक्षित निधि और अन्य प्रारक्षित निधियां (ii) चौथा कालम	रु० 3,00,00,00	रु० 3,00,00,000
	3417	3. निवेश (i) केन्द्र सरकार को प्रतिभूतिया		
		अकित मूल्य	रु० 1305,47,00,000	रु० 1305,47,00,000 (रु० 1335,47,00,000)
		बाजार मूल्य	रु० 1229,05,89,954	रु० 1229,05,89,954 (रु० 1247,18,23,529)
	3417 (ii)	खजाना बिल अकित मूल्य	रु० 20,00,00,000	रु० 20,00,00,000 (शून्य)
	3417	4. अग्रिम (घ) अन्य निवेश ऋण : मध्यावधि और दीर्घावधि परियोजना ऋण	137,69,74,06,959	137,29,74,06,959
	3419	5. भूमि कालम तीन की कुल राशि	100,74,25,931	100,74,25,631
	3419	6. परिसर (लागत पर) (टिप्पणी 2 देखें)	9 परिसर (लागत पर) (टिप्पणी 2 देखें)	6 परिसर (लागत पर) (टिप्पणी 2 देखें)
	3419	फर्निचर और जुडनार (चौथा कालम)	18,02,10,386	18,02,19,386
	3420	8 राष्ट्रीय बैंक—स्विस विकास सहयोग परियोजना		
		घटाएं: (क) वर्ष 1994–95 तक राष्ट्रीय बैंक—स्विस प्रवर्धन निधि में अंतरित वसूलियां	68,91,47,374	68,61,47,374
	3422	9 राष्ट्रीय बैंक–स्विस 7 निधि घटाए : वर्ष के दौरान किया गया व्यय/		
		सवितरण दूसरा कालम	3,09,94,111	3,06,94,111
		सवितरण चौथा कालम	3,09,94,111	3,06,94,111
	3423	च. केएफडब्ल्यू—नाबार्ड 5 आदिवासी कार्यक्रम	केएफडब्ल्यू–नाबार्ड 5 आदिवासी कार्यक्रम	केएफडब्ल्यू–नाबार्ड 5 आदिवासी कार्यक्रम
	3423	अन्य परिसंपत्तिया कुल राशि (पिछला वर्ष)	825,85,97,963	825,85,97,953

1	2	3	4	5
	3426	14. जमा राशियां ख. वाणिज्य बैंक (प्राथमिकता) क्षेत्र की राशि में कमी की राशि	327,55,51,50	327,55,51,560
	3426	15 बांड और डिबेंचर	1408,15,11,000	1408,15,11,000
	3426	16 उधार राशिया	1369,65,11,000	1369,65,11,000
	3429	निदेशक के नाम	एस एन पी सिन्हा	एस एन पी एन सिन्हा
	3430	31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	01 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	31 मार्च, 1999 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा
	3430	अदा किया गया ब्याज		
		(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार पर	206,57,22,11	206,57,22,141
		(छ) ग्रेच्युटी और चिकित्सा निधि पर	4,30,22,038	4,30,22,048
		(ट) ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अन्तर्गत जमा राशियों पर	1,98,63,43,998	1,98,63,43,598
	3430	3 स्टाफ अधिवर्षिता निधि में अंशदान	21,76,40,429	21,76,30,429
	3432	कुल राशि	1134,42,43,519	1134,42,34,519
	3432	अनुसधान और विकास निधि	3,00,0,000	3,00,00,000
	3433	निदेशकों के नाम	एस एन पी सिन्हा	एस एन पी एन सिन्हा
	3436	टिप्पणिया पैरा 16 ग	(ग) वर्ष के दौरान बैंक ने क्रमशः 116.23 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रुपये के 12.35% ब्याज दर वाले XVIII श्रृंखला एस एल आर बांड तथा 8.2% के सीरिज कर युक्त बांड जारी किए. पुनश्च बैंक ने पहली बार 188 करोड़ रुपये के 11.25% के प्राथमिकता क्षेत्र बांड की 1 सीरिज जारी की. इन बांडों का प्रबंधन पूर्ण रूप से बैंक द्वारा किया गया ।	(ग) वर्ष के दौरान बैंक ने क्रमशः 116.23 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रुपये के 12.35% ब्याज दर वाले XVIII श्रृंखला एस एल आर बांड तथा 8.25% को III सीरिज कर मुक्त बांड जारी किए पुनश्च बैंक ने पहलो बार 188 करोड़ रुपये के 11.25% के प्राथमिकता क्षेत्र बांड की 1 सीरिज जारी की इन बांडों का प्रबन्धन पूर्ण रूप से बैंक द्वारा किया गया ।

मी० के० देसाई,
प्रबन्धक
सचिव विभाग
राकृग्रवि बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक

(भारतीय रिजर्व बैंक के सपूर्ण स्वामित्व मे)

आवास वित्त कंपनी (रा०आ० बैंक) निर्देश, 1989

नई दिल्ली–110003, दिनांक 1 जनवरी 1999

अधिसूचना स० एन०एच०बी० एच०एफ०सी० डी०आई० आर० 11/सी०एम०डी०–99—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30 और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सभी सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बात से आश्वस्त होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, राष्ट्रीय आवास बैंक एतदद्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (रा०आ०बैंक) निर्देश, 1989 (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख निर्देश कहा गया है) को तत्काल प्रभाव से, निम्नानुसार संशोधित किया जाए, अर्थात् :

पैराग्राफ 2 का संशोधन

1. पैराग्राफ 2 में, प्रमुख निर्देशों के उप-पैराग्राफ (1) में,

(i) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(घ क)" "सार्वजनिक जमाराशि" से जमाराशि अभिप्रत है । लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है, अर्थात्—

(i) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से प्राप्त कोई राशि अथवा किसी अन्य श्रोत से प्राप्त कोई राशि और जिसका प्रतिसंदाय केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गारंटीशुदा हो अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी सार्वजनिक आवास एजेंसी या किसी विदेशी सरकार या किसी अन्य विदेशी नागरिक, प्राधिकरण या व्यक्ति से प्राप्त राशि;

(ii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) के तहत स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) के तहत स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम या साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कंपनियों या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) के तहत स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के तहत स्थापित भारतीय यूनिटट्रस्ट या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीन विकास बैंक, अधिनियम, 1982 के तहत स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या विद्युत (आपूर्ति अधिनियम, 1948 के तहत गठित विद्युत बोर्ड या तमिलनाडु औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि० या दि इण्डस्ट्रियल फाईनांस कारपोरेशन आफ इंडिया लि० या भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लि० या भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि० या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० या कृषि वित्त निगम लि० या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक एवं निवेश निगम लि० या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम लि० या एशियाई विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या विदेशी आर्थिक सहयोग निधि (आई०सी०एफ०) या कैडिटैनस्टैल्ट फार वाइडरआफबो (के०एफ०डब्ल्यू०) या किसी अन्य संस्था, जिसे इस निमित्त राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, मे प्राप्त कोई राशि;

(iii) किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा अन्य कंपनी मे प्राप्त राशि;

(iv) शेयरों, स्टाक, बांडों या डिबेंचरो का आबंटन लंबित रहने तक उक्त किसी भी शेयर, स्टाक, बांडों या डिबेंचरों में अभिदान के तौर पर प्राप्त कोई राशि और आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसरण में शेयरों पर पहले से मांग के रूप में प्राप्त कोई राशि, जब तक कि ऐसी राशि आवास वित्त कंपनी के अंतर्नियमों के तहत सदस्यों को प्रतिसंदेय नहीं है;

(v) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त कोई राशि, जो राशि की प्राप्ति के समय आवास वित्त कंपनी का निदेशक था या किसी गैर सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों से प्राप्त कोई राशि या ऐसी गैर-सरकारी आवास वित्त कंपनी द्वारा प्राप्त कोई राशि, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 43 क के तहत सार्वजनिक आवास वित्त कंपनी बन गई है और अपने अंतर्नियमों में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित उपबंधों को शामिल करना जारी रखती है ।

परन्तु यह कि जैसी भी स्थिति हो, निदेशक या शेयरधारक जिससे राशि प्राप्त हुई है, राशि देते समय आवास वित्त कंपनी को लिखित रूप में इस आशय का घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि यह राशि अन्यों से उधार लेकर या राशियां स्वीकार करके उसके द्वारा अर्जित निधियों में से नहीं की जा रही है;

(vi) आवास वित्त कंपनी की किसी अचल सम्पत्ति या किसी अन्य परिसम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडो या डिबेंचरों या उन्हें आवास वित्त कंपनी के शेयरों मे परिवर्तित करने के विकल्प के साथ जारी किए गए बांडों या डिबेंचरों द्वारा जुटाई गई कोई राशि, परन्तु किसी अचल सम्पत्ति के बंधक द्वारा प्रतिभूत या अन्य परिसंपत्ति द्वारा प्रतिभूत ऐसे बांडों या डिबेंचरों के मामले में, ऐसे बाण्डों या डिबेंचरों की राशि ऐसी अचल सम्पत्ति/अन्य परिसम्पत्ति के बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी;

(vii) प्रवर्तकों द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने के अध्यधीन, ऋणदाता संस्थाओं की शर्तों के अनुसरण में अप्रतिभूत ऋण के रूप में लाई गई कोई राशि, अर्थात् :

(क) यह ऋण ऐसे वित्त का अंशदान करने के लिए प्रवर्तकों की बाध्यता को पूरा करने के लिए ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा लाई गई शर्तों के अनुसरण में लाया जाता है,

(ख) यह ऋण प्रवर्तकों द्वारा स्वयं/और या उनके संबंधियों द्वारा प्रदान किया जाता है, और न कि उनके मित्रों एवं कारबार सहयोगियों द्वारा, और,

(ग) इस उपखंड के अन्तर्गत छूट केवल तब तक उपलब्ध होगी, जब तक ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था के ऋण का प्रतिसंदाय नहीं कर दिया जाता एवं उसके बाद नहीं;

(घख) "ऋणदाता सार्वजनिक वित्तीय संस्था" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :—

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4क में या उसके अन्तर्गत विनिर्दिष्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्था; या

(ii) राज्य वित्तीय निगम या राज्य औद्योगिक निवेश निगम या

(iii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या

(iv) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 9 के उपबंधों के अनुसरण में स्थापित भारतीय साधारण बीमा निगम या कोई अन्य संस्था, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;"

(ii) खण्ड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(ज) "प्रतिभूतियों" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2(ज) में यथा परिभाषित प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;"

पैराग्राफ 3 का लोप

2. प्रमुख निर्देश के पैराग्राफ 3 का लोप हो जाएगा ।

पैराग्राफ 3 क का संशोधन

3. पैराग्राफ 3 क के, स्पष्टीकरण (1) में, खंड क में, "कुल चुकता इक्विटी पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियां" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"चुकता अधिमान्य शेयरों सहित कुल चुकता इक्विटी पूंजी, जो अनिवार्यतः इक्विटी पूंजी और निर्बंध आरक्षित निधियों में परिवर्तनीय है।"

पैराग्राफ 4 का प्रतिस्थापन

4. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 4 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"4. जमाराशियां स्वीकार करना—

(1) न्यूनतम ऋण पात्रता निर्धारण

1 जनवरी, 1999 को और इस तारीख से,

(i) ऐसी कोई भी आवास वित्त कंपनी जिसके पास पच्चीस लाख रुपए और इससे अधिक की निवल स्वाधिकृत निधि है (जिसे आगे स्वा० निधि कहा जाएगा) वे जनता से जमाराशि तब तक स्वीकार नहीं करेगी, जब तक उसने सावधि जमाराशियों के लिए किसी भी अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी से वर्ष में कम से कम एक बार न्यूनतम "ए" का ऋण पात्रता निर्धारण प्रमाणपत्र प्राप्त न कर लिया हो और पात्रता निर्धारण की एक प्रति विवेकसम्मत मानदंडों संबंधी विवरणी के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक को भेज न दी हो;

(ii) किसी आवास वित्त कंपनी के ऋण पात्रता निर्धारण के किसी स्तर को आवास वित्त कंपनी के पिछले स्तर से बढ़ाने या किसी भी स्तर तक कम करने की दशा में, इस प्रकार के निर्धारण के बाद स्तर बढ़ाने/घटाये जाने की लिखित सूचना राष्ट्रीय आवास बैंक को 15 कार्य दिवसों के अन्दर देगी ।

अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियां

इस समय अनुमोदित ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों के नाम निम्नानुसार हैं :—

एजेंसी के नाम

(क) दि क्रेडिट रेटिंग इन्फार्मेशन सर्विसेज आफ इंडिया लि० (क्रिसिल)

(ख) आई० सी० आर० ए० लि०

(ग) क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लि० (केयर)

(घ) डफ एंड फेल्प्स क्रेडिट रेटिंग इंडिया प्रा० लि० (नो०मो०आर० इंडिया)

2. जमाराशियों की अवधि :—

1 जनवरी, 1999 को और इसके, कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई भी सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार या उसका नवीनीकरण नहीं करेगी, चाहे उसे 1 जनवरी, 1999 से पहले या बाद में स्वीकार किया गया हो,

(क) जो मांग किए जाने या नोटिस दिए जाने पर प्रतिसंदेय हो;

या

(ख) जब तक ऐसी जमाराशि 12 महीने या इससे अधिक की अवधि के बाद, परंतु ऐसी जमाराशियां स्वीकार किए जाने या उसका नवीकरण किए जाने की तारीख से कम से कम चौरासी महीने के पश्चात् प्रतिसंदेय नही हो जाती है।

परंतु 1 जनवरी, 1999 के पहले किसी आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक जमाराशियां, जब तक इन निर्देशों के अनुसरण में नवीकृत नही हो जाती, ऐसी जमाराशियों की शर्तों के अनुसार प्रतिप्रदत्त होंगी ।

स्पष्टीकरण

जहां सार्वजनिक जमाराशि किस्मों में है, वहां ऐसी जमाराशि की अवधि पहली किस्त की प्राप्ति की तारीख से परिकलित की जाएगी ।

(3) यथा निर्धारित सीमा से अधिक जमाराशियां स्वीकार करने या उनका नवीनीकरण करने पर निबन्धन और पहले से स्वीकार की गई तथा अधिकतम सीमा से अधिक रखी हुई जमाराशियों का नियमन ।

(i) 1 जनवरी, 1999 को और इस तारीख से, कोई भी आवास वित्त कंपनी जिसकी निवल स्वा० निधि

(क) पच्चीस लाख रुपए से कम है; या

(ख) पच्चीस लाख रुपए और इससे अधिक है, परंतु उसकी ऋण पात्रता का निर्धारण "ए" से नीचे है,

उप पैराग्राफ (4) में विनिर्दिष्ट सीमा के अतिरिक्त सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार या उसका नवीकरण नहीं करेगी;

(ii) 1 जनवरी, 1999 को और इस तारीख से किसी भी आवास वित्त कंपनी—

(क) जिसे पैराग्राफ 3क के अनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है और जो प्रमाणपत्र राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरस्त नहीं किया गया है या जिसने उस पैराग्राफ के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन किया और वह राष्ट्रीय आवास बैंक के पास विचारार्थ लंबित है, और

(ख) जिसकी निवल स्वा० निधि पच्चीस लाख रुपए और इससे अधिक है तथा ऋण पात्रता निर्धारण "ए" से नीचे नहीं है,

के पास सार्वजनिक जमाराशियों सहित उतनी जमाराशियां होंगी, जिसकी कुल राशि, उसके द्वारा रखी हुई राशियों, यदि कोई हों, जिनका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खण्ड (ख ख) के उपखंडों (iii) से (vii) तक में किया गया है, और राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋणों और अन्य सहायता सहित, नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक न हो :

निवल स्वा० निधियों वाली आवास वित्त कंपनियां	निवल स्वा० निधियों के गुणक के रूप में जमाराशियां
10 करोड़ रुपए तक	10 गुणा
10 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 20 करोड़ रुपए से कम	11 गुणा
20 करोड़ रुपए और इससे अधिक	12 गुणा

परन्तु किसी आवास वित्त कंपनी की सार्वजनिक जमाराशियां उसकी निवल स्वाधिकृत निधि के पांच गुणा से अधिक नहीं होंगी ।

4. पहले स्वीकार की गई और अनुज्ञेय सीमा से अधिक रखी गई जमाराशियों का नियमन

जहां कोई आवास वित्त कंपनी 1 जनवरी, 1999 को कारबार के प्रारंभ के समय ऊपर विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक जमाराशियां रखती है, वहां वह :—

(क) नई जमाराशियां स्वीकार नही करेगी या नया जमाखाता नही खोलेगी; अथवा

(ख) 30 सितंबर, 2000 के बाद वर्तमान जमाराशियों का नवीकरण नहीं करेगी या जहां जमाराशियां किसी आवर्ती योजना के तहत प्राप्त की जाती हैं, वहां ऐसी योजना के तहत किस्तें योजना की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त करेगी;

(ग) 30 सितंबर, 2000 के बाद परिपक्वता पर ऐसी अधिक जमाराशि को प्रतिसंदाय द्वारा कम करेगी।

5. ऋण पात्रता का निम्नतर निर्धारण

आवास वित्त कंपनी के पूर्ववर्ती स्तर से नीचे, "ए" से निम्नतर स्तर का ऋण पात्रता का निर्धारण किए जाने की दशा में वह :

(i) पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक को इस स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(ii) तत्काल प्रभाव से कोई भी नई जमाराशि स्वीकार करना बन्द कर देगी और ऋण पात्रता निर्धारण का स्तर कम होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद वर्तमान जमाराशियों का नवीकरण नही करेगी; और

(iii) एक वर्ष की अवधि या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आगे बढ़ाई गई ऐसी अन्य अवधि के अन्दर अधिक जमाराशियों का प्रतिसंदाय करेगी ।

6. संयुक्त जमाराशियां

जहां वांछित हो, जमाराशियां संयुक्त नामों से स्वीकार की जा सकती है, जिसमें "आइदर और सर्वाइवर" "नम्बर वन और सर्वाइवर/स", "एनीवन और सर्वाइवर/स", जैसा वाक्य खण्ड हो या नहीं हो ।

पैराग्राफ 5 का प्रतिस्थापन

5. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 5 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

5. जनता से जमाराशियों की मांग करने के लिए आवेदन पत्र में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विवरण

(i) 1 जनवरी, 1999 को और इस तारीख से, आवास वित्त कंपनी द्वारा दिए जाने वाले फार्म में जमाकर्त्ताओं द्वारा लिखित आवेदन न किए जाने पर, कोई भी आवास वित्त कंपनी कोई सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार अथवा उसका नवीकरण नही करेगी। इस फार्म में, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 58क के अन्तर्गत बनाए गए गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी और विविध गैर-बैककारी कंपनी (विज्ञापन) नियम, 1977 में विनिर्दिष्ट सभी ब्यौरे निहित होंगे और साथ ही, इसमें जमाकर्त्ताओं की विशिष्ट श्रेणी के ब्यौरे भी निहित होंगे, अर्थात् जमाकर्त्ता आवास वित्त कंपनी का शेयरधारक या निदेशक या प्रवर्त्तक है या कोई जन मदस्य है।

(ii) आवेदन फार्म में निम्नलिखित सूचनाएं भी निहित होंगी :

(क) उसकी जमाराशियों को प्रदान की गई ऋण पात्रता का निर्धारण और आवास वित्त कंपनी की ऋण पात्रता का निर्धारण करने वाली ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी का नाम;

(ख) इस आशय का एक विवरण कि आवास वित्त कंपनी द्वारा अपनी जमाराशियों को चुकौती में किसी चूक के मामले में जमाकर्त्ता राहत के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, राज्य स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच, या जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में जा सकता है;

(ग) इस आशय का एक विवरण कि आवास वित्त कंपनी की वित्तीय स्थिति, जैसा कि प्रकट किया गया है और आवेदन फार्म में दिए गए अभ्यावेदन सही और ठीक हैं तथा आवास वित्त कंपनी और उसका निदेशक बोर्ड उसकी शुद्धता और सत्यता के लिए जिम्मेदार है;

(घ) इस आशय का एक विवरण कि आवास वित्त कंपनी की जमाराशि स्वीकार करने की गतिविधियां राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित की जाती हैं। तथापि, यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के लिए या आवास वित्त कंपनी द्वारा किए गए किसी भी विवरण या अभ्यावेदन या उसके द्वारा व्यक्त की गई किसी भी राय की शुद्धता के लिए; और आवास वित्त कंपनी द्वारा जमाराशि के प्रतिसंदाय देनदारियों के निर्वहन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है;

(ङ) आवेदन फार्म के अन्त में, लेकिन जमाकर्त्ता के हस्ताक्षर से पहले जमाकर्त्ता द्वारा निम्नलिखित सत्यापन खंड जोड़ा जाएगा "मैंने आवास वित्त कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय और अन्य विवरणों/तथ्यों/अभ्यावेदनों को पढ़ लिया है और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैं अपने जोखिम और इच्छा शक्ति पर आवास वित्त कंपनी के पास रकम जमा कर रहा हूं।"

पैराग्राफ 6 का संशोधन

6. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 6 के, उप पैराग्राफ (2) में निम्नलिखित परन्तुक का समावेश किया जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु, यदि ऐसी प्राप्तियां किसी आवर्ती जमा की पहली किस्त के बाद की किस्तों से संबंधित हैं, तो उसमें केवल जमाकर्त्ता/(ओं) का नाम, तारीख और जमाराशि निहित होगी।"

पैराग्राफ 7 का संशोधन

7 प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 7 में—

(i) उप-पैराग्राफ (1) में, खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित का समावेश किया जाएगा, अर्थात—

"(ङ क) जमाकर्त्ता द्वारा किए गए दावे की तारीख, (ङ ख) प्रतिसंदाय में पांच कार्य दिवसों में अधिक की देरी के कारण, और"

(ii) उप पैराग्राफ (2) में, "दस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "आठ वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

पैराग्राफ 8 का संशोधन

8. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 8 के, उप पैराग्राफ (1) में विद्यमान खण्डों (क) और (ख) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(क) आवास वित्त कंपनी की सार्वजनिक जमाराशि के खातों की कुल संख्या, जिनका जमाकर्त्ताओं द्वारा दावा नहीं किया गया है या जिस तारीख को जमाराशि प्रतिसंदाय के लिए देय हुई, उस तारीख के बाद आवास वित्त कंपनी द्वारा उसका संदाय नहीं किया गया है; और

(ख) ऐसे खातों के अंतर्गत दय कुल राशियां, जिनका दावा नहीं किया गया है या पूर्वोक्तानुसार खण्ड (क) में उल्लिखित तारीखों के बाद संदाय नही किया गया है।"

पैराग्राफ 9 का प्रतिस्थापन

9. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 9 के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

9. ब्याज दर और दलाली की अधिकतम सीमा तथा अतिदेय सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज

(1) 1 जनवरी, 1999 को और उस तारीख से, कोई भी आवास वित्त कंपनी :—

(क) कोई भी सार्वजनिक जमाराशि पंद्रह प्रतिशत वार्षिक से अधिक ब्याज दर पर आमंत्रित या स्वीकार या उसका नवीकरण नहीं करेगी। ब्याज का भुगतान किया जा सकता है या उसे अन्तरालों में चक्रवृद्ध किया जा सकता है। ये अन्तराल मासिक अन्तरालों से कम अवधि के नहीं होंगे।

इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक जमाराशियों की ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते कि, आवास वित्त कंपनी ने राष्ट्रीय आवास बैंक से यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया हो कि वह इन निर्देशों, दिशानिर्देशों के अधीन और राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों को समय समय पर जारी किए गए अन्य अनुदेशों के उपबंधों का पालन करती है।

(ख) किसी भी दलाल को उसके द्वारा या उसके माध्यम से एकत्र की गई सार्वजनिक जमाराशि पर,

(i) इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि से दो प्रतिशत अधिक की दलाली, कमीशन, प्रोत्साहन या अन्य लाभ, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, का भुगतान नहीं करेगी;

(ii) उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित वाउचरों/बिलों के आधार पर इस प्रकार एकत्र की गई जमाराशि के 0.5 प्रतिशत से अधिक की प्रतिपूर्ति के रुप में व्यय नहीं करेगी।

(2) अतिदेय जमाराशि पर ब्याज का भुगतान

कोई भी आवास वित्त कंपनी, अपने विवेक पर, अतिदेय सार्वजनिक जमाराशि पर या उक्त अतिदेय जमाराशि के किसी भाग पर, जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से ब्याज की अनुमति दे सकती है, जो इस शर्त के अध्यधीन होगी कि :—

(i) कुल अतिदेय जमाराशि या उसके किसी भाग का, इन निर्देशों के सम्बन्धित उपबंधों के अनुसार, उसकी परिपक्वता की तारीख से किसी भावी तारीख तक नवीकरण किया जाता है; और

(ii) अनुज्ञेय ब्याज ऐसी अतिदेय जमाराशि की परिपक्वता की तारीख को लागू उचित दर पर होगा, जो केवल इस प्रकार नवीकृत जमाराशि पर ही देय होगा :

परन्तु, जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाकर्त्ता द्वारा दावा किए जाने पर, परिपक्वता पर जमाराशि का ब्याज सहित प्रतिसंदाय करने में असफल रहती है, वहां आवास वित्त कंपनी दावा किए जाने की तारीख से प्रतिसंदाय किए जाने की तारीख तक जमाराशि पर यथा लागू दर पर ब्याज का भुगतान करेगी।"

पैराग्राफ 10 का संशोधन

10. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 10 में,

(i) "जमाराशि" या "जमाराशियां" शब्द, जहां कहीं भी वे प्रयुक्त हुए हों, "सार्वजनिक जमाराशि" या "सार्वजनिक जमाराशियों" इन शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) खण्ड (ii) के उप खण्ड (ग) में, "सविदागत दर की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"उस दर की तुलना में एक प्रतिशत बिन्दु कम, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए स्वीकार की गई होती जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी।"

पैराग्राफ 10क का संशोधन

11. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 10क में,

(i) "जमाराशि" शब्द, जहां कहीं भी प्रयुक्त हुआ हो, यह "सार्वजनिक जमाराशि" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) सार्वजनिक जमाराशि की समाप्त हुई अवधि का ब्याज, उस दर से एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दिया गया है, जिस दर पर आवास वित्त कंपनी ने सामान्यतया भुगतान किया होता, यदि जमाराशि उस अवधि के लिए स्वीकार की गई होती। जिस अवधि के लिए ऐसी जमाराशि इस्तेमाल की गई थी; पहले ऐसी घटी हुई दर से अधिक भुगतान किया गया कोई भी ब्याज वसूल/समायोजित किया जाएगा।"

पैराग्राफ 11 का संशोधन

12. प्रमुख निर्देशो के पैराग्राफ 11 में, उप पैराग्राफ (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी :

(क) भारत में भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों, जो ऐसी प्रतिभूतियों के चालू बाजार मूल्य से अनधिक की कीमत पर मूल्यांकित की गई हों, में उतनी राशि का निवेश करेगी और निवेश करना जारी रखेगी, जो किसी दिन कारबार की समाप्ति पर, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्यदिवस को कारबार की समाप्ति पर बकाया सार्वजनिक जमाराशियों के पांच प्रतिशत से कम नहीं होगी और जो 1 अप्रैल, 1999 से छह प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक समय समय पर और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, से कम नहीं होगी;

(ख) भारत में (i) किसी अनुसूचित बैंक के खाते में (दोनों प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त) सावधि जमाराशि प्रमाणपत्र में या (ii) राष्ट्रीय आवास बैंक के पास रखी गई जमाराशियों में या (iii) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किए गए बांडों में अभिदान के रूप में या आंशिक रूप से ऐसे खाते में या ऐसी जमाराशि में या आंशिक रूप से ऐसे अभिदान के रुप में ऐसी राशि रखेगी, जो किसी दिन कारबार की समाप्ति पर, उपर्युक्त खण्ड (क) के अंतर्गत किए गए निवेश सहित, दूसरी पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम कार्य दिवस को कारबार की समाप्ति पर आवास वित्त कंपनी की बहियों में बकाया सार्वजनिक जमाराशियों के दस प्रतिशत से कम नहीं होगी और जो 1 अप्रैल, 1999 से साढ़े बारह प्रतिशत या पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसे उच्चतर प्रतिशत, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक समय समय पर और राजपत्र अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, से कम नहीं होगी।"

पैराग्राफ 11क का संशोधन

13. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 11क में, उप पैराग्राफ (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, इन निर्देशों के पैराग्राफ 11 के उप पैराग्राफ (1) के खंड (क) के अनुसरण में उसके

द्वारा रखी जाने वाली भार रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों को, उस स्थान पर, जहां आवास वित्त कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उस निमित्त उसके द्वारा अभिहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक बैंक को सौपेगी ।"

नए पैराग्राफ 11ग का समावेश

14. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 11ख के बाद, निम्नलिखित पैराग्राफ का समावेश किया जाएगा, अर्थात् :—

"11 ग. कर्मचारी प्रतिभूति जमा—अपने सामान्य कारबार के दौरान, अपने किसी भी कर्मचारी से, उसके कर्त्तव्यों के उचित निष्पादन के लिए, प्रतिभूति जमा के रूप में कोई भी राशि प्राप्त करने वाली आवास वित्त कंपनी उस राशि को किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में या डाकघर में कर्मचारी और आवास वित्त कंपनी के संयुक्त नाम वाले खाते में इस शर्त पर रखेगी कि :—

(1) वह कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना राशि नहीं निकालेगी, और

(2) यह राशि कर्मचारी को ऐसे जमा खाते पर देय ब्याज सहित प्रतिदेय होगी, बशर्ते कि इस या उसके किसी भाग का, कर्मचारी की ओर से उसके कर्त्तव्यों के उचित निष्पादन में असफल रहने के कारण आवास वित्त कपनी द्वारा विनियोजन न किया जाना हो ।"

पैराग्राफ 12 का संशोधन

15. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 12 के, अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

"और रिपोर्ट तथा उसके लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा संबंधी टिप्पणियों की एक प्रति ।"

पैराग्राफ 13 का संशोधन

16. प्रमुख निर्देशों का पैराग्राफ 13, निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"13. लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र और इस प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने का प्रावधान—

प्रत्येक आवास वित्त कंपनी, पैराग्राफ 12 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक को संपरीक्षित तुलनपत्र की प्रति सहित निदेशक बोर्ड को लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति और अपने लेखापरीक्षकों, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं, से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी कि :—

(1) क्या आवास वित्त कपनी ने, इन निर्देशों के पैराग्राफ 3क में किए गए प्रावधान के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, यदि वह 17 सितम्बर, 1997 से पहले निगमित कंपनी है और क्या उसे राष्ट्रीय आवास बैंक से उस पंजीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी या नामंजूरी के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है और क्या आवास वित्त कंपनी को राष्ट्रीय आवास बैंक से पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है, यदि वह 17 सितम्बर, 1997 को या इसके बाद निगमित कंपनी है ।

(2) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने/रखने वाली आवास वित्त कंपनी के मामले में :—

(i) क्या आवास वित्त कंपनी द्वारा नीचे दर्शाये गये अन्य उधारों सहित अर्थात —

(क) जनता से अप्रतिभूत/अपरिवर्तनीय/डिबेंचरों बाण्डों के निर्गम द्वारा

(ख) पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा अपने शेयरधारकों से और

(ग) किसी अन्य प्रकार की जमा राशि जिसे सार्वजनिक जमाराशि की परिभाषा से अलग नहीं किया गया है,

उसके द्वारा स्वीकार की गई सार्वजनिक जमाराशियों इन निर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी की अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर हैं ।

(ii) क्या ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसियों अर्थात———— (एजेंसी का नाम) द्वारा———— (तारीख) को जमाराशियों के लिए प्रदत्त ऋण पात्रता निर्धारण अर्थात् ————(पात्रता निर्धारण के स्तर का उल्लेख करे) प्रभावी है और वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया जमाराशियों की कुल राशि ऋण पात्रता निर्धारण एजेंसी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो गया है ।

(iii) क्या आवास वित्त कंपनी ने अपने जमाकर्त्ताओं को, ब्याज और या मूलधन देय होने के बाद, जमाराशियों के ब्याज और या मूलधन का भुगतान करने में चूक की है ?

(iv) क्या आय का अभिज्ञान लेखा मानकों, परिसम्पत्ति के वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता और ऋण/निवेश के संकेन्द्रण के लिए विवेकसम्मत मानदण्डों के बारे में आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की गई विवरणी में व्यक्त किए गए पूंजी पर्याप्तता अनुपात का सही निर्धारण किया गया है और क्या यह अनुपात

इन दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम पूंजी जोखिम आस्ति अनुपात के अनुरूप है ।

(v) क्या आवास वित्त कंपनी ने निर्धारित चल निधि की अपेक्षा को पूरा किया है और अभिहित बैंक में अनुमोदित प्रतिभूतियां रखी हैं ।

(vi) क्या आवास वित्त कंपनी ने विवेकसम्मत मानदंड संबंधी छमाही विवरणी निर्धारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत की है, जैसा कि आय की पहचान, लेखा मानकों, परिसम्पत्ति के वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता और ऋणों/निवेशों के संकेन्द्रण के लिए विवेकसम्मत मानदण्डों के बारे में आवास वित्त कंपनियों को राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(vii) क्या आवास वित्त कंपनी ने जमाराशियों संबंधी विवरणी निर्धारित अवधि के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रस्तुत कर दी है, जैसा कि इन निर्देशों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(viii) क्या आवास वित्त कंपनी की जमाकर्त्ताओं के प्रति देयताओं की पूरी राशि उस पर देय ब्याज सहित तुलनपत्र में उचित रूप से परिलक्षित की गई है और यह कि कंपनी जमाकर्त्ताओं को इन देयताओं की राशि पूरा करने की स्थिति में है ।

(3) सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार न ही करने वाली आवास वित्त कंपनी के मामले में—

(i) क्या निदेशक बोर्ड ने सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार नहीं करने के लिए संकल्प पारित कर दिया है,

(ii) क्या आवास वित्त कंपनी ने संबंधित अवधि/वर्ष के दौरान कोई सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार की है और

(iii) क्या आवास वित्त कंपनी ने आय अभिज्ञान, लेखा मानकों, परिसम्पत्ति के वर्गीकरण और अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान संबंधी विवेकसम्मत मानदण्डों का पालन किया है, जैसा कि उस पर लागू होता है ।

(4) जहां लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में, उपर्युक्त उप पैराग्राफ 1 से 3 में उल्लिखित किसी भी मद में संबंधित विवरण प्रतिकूल या सापेक्ष है, वहां यथास्थिति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में, ऐसे प्रतिकूल या सापेक्ष विवरण, के कारणों का भी उल्लेख किया जाएगा । जहां लेखापरीक्षक उपर्युक्त पैराग्राफ 1 से 3 में उल्लिखित किसी मद के बारे में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं, वहां लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इस तथ्य का कारणों सहित उल्लेख किया जाएगा ।"

पैरा ग्राफ 14 का संशोधन

17 प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 14 में,

(i) उप पैराग्राफ (1) में, खंड (ii) का लोप हो जाएगा ।

(ii) उप पैराग्राफ (2) में, उप खंड (क) के बाद खण्ड (i) में, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात :—

"(कक) पंजीकृत कार्पोरेट कार्यालय का पूरा डाक पता, टेलीफोन नम्बर और फैक्स नम्बर;

(कख) कंपनी के लेखापरीक्षकों के नाम और कार्यालय का पता ।"

पैराग्राफ 16 का संशोधन

18. प्रमुख निर्देशों के पैराग्राफ 16 में,

(i) उप पैराग्राफ (1), "प्रत्येक आवास वित्त कंपनी" शब्द के स्थान पर "सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने वाली प्रत्येक आवास वित्त कंपनी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप पैराग्राफ (2),—

(क) "जहां कोई आवास वित्त कंपनी जमाराशि/(यां) स्वीकार करने का इरादा रखती है" इन शब्दों के स्थान पर कोई आवास वित्त कंपनी सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने का इरादा रखती है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) अंत में निम्नलिखित शब्द जोड़े जाएंगे, अर्थात्

"और जहां उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) में उल्लिखित विवरण, जो पूर्वोक्त नियमों में बताए गए ढंग से विधिवत् हस्ताक्षरित हों ।"

(iii) उप पैराग्राफ (3),—

"उप पैराग्राफ (1) के तहत प्रस्तुत किया गया विवरण" शब्दों के स्थान पर "उप पैराग्राफ (2) के तहत प्रस्तुत किया विवरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

पी० पी० वोरा,
अध्यक्ष

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1999

सं० यू-16 (53) पी० टी० एम० आर०/कर्नाटक/99-चि० 2—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० एम० राजशेखर को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर कार्यग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिए या पूर्ण-कालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को कर्नाटक क्षेत्र में बेल्लारी जिले के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमती) एस० सिंह
चिकित्सा आयुक्त

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊन्टेंटस आफ इंडिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 19 जनवरी 2000

नं० 13-सी०ए०/परीक्षा/एम/2000—चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् रेगूलेशन 1988 के रेगूलेशन 22 के अनुसार दि काउंसिल आफ दि इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल की परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों तथा केन्द्रों पर होंगी, बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

फाउन्डेशन परीक्षा : : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रगूलेशन 1988 के शेडयूल "बी" के अनुच्छेद "1ए" के अनुसार :—

6, 8, 9 और 10 मई, 2000

(प्रात:कालीन सत्र—8 बजे से 11 बजे) भारतीय समयानुसार।

इण्टरमीडिएट परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के शेडयूल "बी" के अनुच्छेद "2ए" के अनुसार :—

ग्रुप I : 2, 3 और 4 मई, 2000

ग्रुप II : 5, 6 और 8 मई, 2000

(दोपहर का सत्र :—12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) भारतीय समयानुसार।

फाइनल परीक्षा : पाठ्यक्रम चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगूलेशन, 1988 के शेडयूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" के अनुसार :—

ग्रुप I : 2, 3, 4 और 5 मई, 2000

ग्रुप II : 6, 8, 9 और 10 मई, 2000

(प्रात:कालीन सत्र 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

परीक्षा केन्द्र

भारत में परीक्षा केन्द्र :—

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अजमेर
4. इलाहाबाद
5. एलेप्पी
6. अलवर
7. अम्बाला
8. अमृतसर
9. आसनसोल
10. औरंगाबाद
11. बंगलौर
12. बड़ौदा
13. बेलगांव
14. भोपाल
15. भुवनेश्वर
16. कलकत्ता

17. कालीकट
18. चंडीगढ़
19. चेन्नई
20. कोयम्बटूर
21. कटक
22. देहरादून
23. दिल्ली (नई दिल्ली)
24. धनबाद
25. इरनाकुलम
26. फरीदाबाद
27. गुवाहाटी
28. गाजियाबाद
29. गोवा
30. ग्वालियर
31. हिसार
32. हैदराबाद
33. इन्दौर
34. जबलपुर
35. जयपुर
36. जम्मू
37. जमशेदपुर
38. जोधपुर
39. कानपुर
40. कोल्हापुर
41. कोटा
42. कोट्टायाम
43. लखनऊ
44. लुधियाना
45. मदुरई
46. मंगलौर
47. मथुरा
48. मेरठ
49. मुम्बई
50. मैसूर
51. नागपुर
52. नासिक
53. पटना
54. पूना
55. रायपुर
56. राजकोट
57. रांची
58. रोहतक
59. सेलम
60. शिमला
61. सिलिगुडी
62. शोलापुर
63. सूरत
64. तिरुचिरापल्ली
65. त्रिचूर
66. त्रिवेन्द्रम
67. उदयपुर
68. वाराणसी
69. विजयावाड़ा
70. विशाखापटनम
71. यमुनानगर

विदेशों में परीक्षा केन्द्र :—

1. दुबई
2. काठमांडू/नेपाल

परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट द्वारा इंस्टीट्यूट के सचिव के पक्ष में होनी चाहिए और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो ।

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है ।

उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस आफ इंडिया के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 20 रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है । आवेदन पत्र इंस्टीटयूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध हैं और नकद भुगतान करने पर प्राप्त किए जा सकते हैं ।

उपर्युक्त प्रमाण पत्रों और शुल्क के साथ डिमांड ड्राफ्ट लगाकर आवेदन पत्र इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में निम्नलिखित तिथियों तक पहुंच जाए :

फाउन्डेशन परीक्षा : 14 फरवरी, 2000 (बिना विलम्ब शुल्क के साथ)

21 फरवरी, 2000 (50/- रुपये विलम्ब शुल्क के साथ)

फाईनल परीक्षा : 18 फरवरी, 2000 (बिना विलम्ब शुल्क के साथ)

25 फरवरी, 2000 (50/-रुपये विलम्ब शुल्क के साथ)

इण्टरमीडिएट परीक्षा : 23 फरवरी, 2000 (बिना विलम्ब शुल्क के साथ)

01 मार्च, 2000 (50/-रुपये विलम्ब शुल्क के साथ)

आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के कार्यालय नई दिल्ली में स्वयं भी आकर दिया जा सकता है, या रीजनल कांउसिलों के मुम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर, अहमदाबाद, बंगलौर, हैदराबाद, पूना और जयपुर के कार्यालयों में उपरोक्त तिथियों के अनुसार जमा कराया जा सकता है। इन नगरों में रहने वाले परीक्षार्थियों को इस सुविधा का फायदा उठाने की सलाह दी जाती है।

विभिन्न परीक्षाओं के लिए देय शुल्क इस प्रकार हैं :—

फाउन्डेशन परीक्षा—शुल्क	रुपये 500/-
इण्टरमीडिएट परीक्षा—शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए	रुपये 600/-
केवल एक ग्रुप के लिए	रुपये 350/-
यूनिट एक*	रुपये 350/-
यूनिट दो*	रुपये 350/-
यूनिट तीन*	रुपये 300/-
यूनिट चार*	रुपये 350/-

*इकाई यूनिट शब्दावली का आशय पेपर्स के उस समूह से है जिसे उन अभ्यार्थियों को, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंटस इण्टरमीडिएट नियमावली की अनुसूची "बी" के अनुच्छेद 2 "ए" में निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अन्तर्गत परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व दोनों ग्रुपों को पास नहीं कर सके हैं और एक ही ग्रुप में उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में बैठना है और पास करना है।

फाईनल परीक्षा—शुल्क	
दोनों ग्रुपों के लिए	रुपये 700/-
केवल एक ग्रुप के लिए	रुपये 400/-
**ईकाई यूनिट—2 पेपर तक	रुपये 275/-
**ईकाई यूनिट—2 पेपर से अधिक तथा चार पेपरों तक सीमित	रुपये 350/-
**ईकाई यूनिट—5 पेपर व उससे अधिक	रुपये 600/-

**यूनिट शब्दावली का आशय पेपरों के उस समूह से है जिसे उन अभ्यार्थियों को जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन 1964 के अन्तर्गत शेड्यूल "बी" और (बी बी) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नवम्बर 1986 से पूर्व एक या एक से अधिक ग्रुप पास कर चुके हैं लेकिन सभी ग्रुप पास नहीं किए हैं को अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस रेगुलेशन 1988 के शैड्यूल "बी" के अनुच्छेद "3ए" में शेष अनुरूप पेपरों में एक साथ बैठना है और पास करना है।

दुबई केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को क्रमशः अमेरिकन $70,$80 और $100 या इसके सममूल्य की भारतीय मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर या एक ग्रुप या एक इकाई/यूनिट या दोनों ग्रुपों में बैठ रहे हों।

काठमांडू केन्द्र से बैठने वाले फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल के परीक्षार्थियों को रुपये 750/- या उसके सममूल्य की विदेशी मुद्रा का शुल्क अदा करना पड़ेगा चाहे वे एक पेपर, एक ग्रुप, एक यूनिट या दो ग्रुपों में बैठ रहे हों।

हिन्दी में उत्तर लिखने की ऐच्छिकता

फाउन्डेशन, इंटरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम में भी देने की सुविधा दी जाती है। विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के साथ संलग्न सूचना पत्र में उपलब्ध है।

अंगदम्बा प्रसाद
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

RESERVE BANK OF INDIA

PUBLIC DEBT OFFICE

Mumbai-1 the 1st January 2000

No. PDO. 20-14-02/I.F.C. Bonds:—In pursuance of Regulation 10 of Industrial Finance Corporation (Issue of Bonds) Regulations 1949, framed under Section 43 of the Industrial Finance Corpn. Act, 1948 (XV of 1948), the following list for the half year ended 31st December 1999 of I.F.C.I. Bonds lost etc, of which prima facie grounds exist for believing that the Bonds have been lost and that the claim of the applicant is just, is hereby published. All persons, other than the relative claimants named below, who have any claim upon these Bonds, should communicate immediately with the Regional Director, Reserve Bank of India, Public Debt Office, Mumbai 400 001. The list is divided into two parts, part 'A' being the list of securities advertised for the first time and part 'B' the list of securities previously advertised.

Sr. No.	Bond Number	Value in Rs.	In whose name issued	From what Date Bearing int rest	Name(s) of the claimant(s) For payment of discharge Value/ issue of duplicates and payment of accrued interest	No. and date of orders issued	Date of publication of the list in which the security was first published
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
List A			—NIL—				
List B-7.25% IFCI Bonds 1997							
1.	BY 000908-910	3,00,000/- (3x1,00,000/-)	ANZ Grindlays Bank	29-9-1995	Madhur Capital and Finance Ltd., Ahmedabad.	Case No. 20-04-2075 General Manager's orders dated 3-3-1999 C.O. Diary No. 713 of date.	31-7-99
13% I.F.C.I. Bonds 2008 (64th Srs.)							
1.	BY 00077-BY 00032	60,00,000/- (6x10,00,000/-)	Reserve Bank of India	23-1-1996	Trustees, Gratuity Fund of Bharat Petroleum Corporation Ltd.	Case No. 20-04-2034 General Manager's orders dated 8th January 1998. C.O. Diary No. 404 dated 12th January 1998.	14-2-1998

A.B. TELANG,
Regional Director for Maharashtra & Goa.
For Reserve Bank of India Shri V.B Shikarkhane.A M. ACD—S—0014

DENA BANK

HEAD OFFICE

7th Floor, Maker Towers "E"

Post Box No. 6058, Cuffe Parade

Mumbai-400005, the 28th December 1999

No. IR/Amend-1/99 : In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of DENA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely :—

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called DENA BANK (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the DENA BANK (Officers') Service Regulations, 1979 for Regulation 38, the following regulation shall be substituted; namely :—

"38 Save as provided below all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation,

retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an Officer retires from the bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding 240 days, of privilge leave that he had accumulated;

Provided further that where an Officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period, not exceeding 240 days, of privilege leave to his Credit as on the date of his death.

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of India vide

Sr. No.	Notification No.	Date

PURUSHOTTAM KUMAR
General Manager
(Support Services)

No. IR: Amend-2/99 -- In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of Section 12 of the Banking Companies, (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the DENA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of Central Government, hereby makes the following regulations further to amend DENA BANK (Officers') Service Regulations, 1979.

1. (1) These regulations may be called the DENA BANK (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1999.

(2) Save as otherwise provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the DENA BANK (Officers') Service Regulations, 1979

(a) in regulation 12, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be iinserted, namely :—

(4) any officer,—

(a) who had exercised option referred to in sub-regulation (1); and

(b) who continued even after the first day of February, 1984 to draw pay and allowances applicable to him immediately before the appointed date; and

(c) who continues in regular service of the Bank on or after the first day of April, 1997.

may be allowed to opt for pay and allowances as applicatle under these regulations on and from the first day of April, 1997:

On exercising such option, he will be fitted on the pay in such a maner that the pay as set out in Regulation 4(2) alongwith the dearness allowance payable thereon as on 1-4-1997 is nearest to his existing salary (i.e. pay plus dearness allowance) being drawn in terms of sub-regultiion (2) on 31-3-1997.

(b) in regulation 23,

(i) after sub-regulation (iii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effec as if for the letters, figures and words "Rs. 40 p.m. or Rs. 25 p.m.", the letters, figures and words "Rs. 125 per month or Rs. 100 per month" had been respectively substituted:

(ii) after sub-regulation (iv), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that on and from the first day of April, 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 150 p.m." the letters, figures and words "Rs.300 per month" had been substituted.'

(iii) in sub-regulation (v), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely : -

'provided that on and from the first day of April 1997, the provisions of this sub-regulation shall have effect as if:—

(A) for the letters and figures "Rs. 700", the letters and figures "Rs. 1000" had been substituted:

(B) for the letters and figures "Rs. 350" occurring at both the places in first and second proviso, the letters and figures; "Rs. 500" had been respectively substituted:

(iv) after sub-regulation (vii), the following proviso shall be inserted, namely;—

'Provided that on and from the financial year 1997-98 ,the provisions of the sub-regulation shall have effects as if for letters and figures "Rs. 150", the letters and figures "Rs. 250" had been substituted ;

(v) after sub-regulation (viii), the following proviso shall be inserted, namely :—

'Provided that on and from the first day of April, 1997 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs. 35 p.m", the letters, words and figures "Rs. 70 per month" had been substituted':

(c) in regulation 32, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that Casual Leave not availed of in the year 1997 or in the subsequent year may be suffixed or prefixed to sick leave in the following three years.:

(d) in regulation 42,—

(i) in sub-regolation 2(i), he words and and figures "on and from 1-7-1993", the words and figures "on and from 1-7-1993 but before 1-4-1997" shall be substituted:

(ii) after sub-regulation 2(i), the following sub-regulation shall be inserted, namely;

"2(i)(a) On and from the first day of April, 1997, an Officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits:—

Pay Range	Where an Officer has family	Where an Officer has no family
Rs. 4250 per month to Rs. 6210 per month	3000 kgs.	1500 kgs.
Rs. 6211 per month and above	Full wagon	2500 kgs.

(iii) in sub-regulation (3), for the words and figures "On and from 1-1-1987", the words and figures "On and from 1-1-1987 but before 1-4-1997" shall be substituted:

(iv) after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted :—

3(a) "On and from the first day of April, 1997, an Officer on transfer will be eligible to draw a lumpsum amount as indicated below for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc.:—

Grade	Lumpsum
Top Executive and Senior Management	Rs. 5000
Middle Management and Junior Management	Rs. 4000

Foot Note : The amendments carried out earlier in the above Regulations were published in the Gazette of India Vide Notification Nos. with dates as under :—

Sr. No.	Notification No.	Date
1.	13	26-03-1988
2.	14	04-04-1992
3.	41	12-10-1996

PURUSHOTTAM KUMAR
General Manager
(Support Services)

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
MUMBAI

Corrigendum

ANNEXURE-II

No.	Page No. of the Gazette	Reference	Erratum	Correction
1	2	3	4	5
1.	3542	RESERVE FUND AND OTHER RESERVES Total of (ii) Research and Development Fund-Previous year	31,06,48,593	31,06,48,093
2.	3543	ADFC Equity	(ii) ADFC Equity	(iii) ADFC Equity
3.	3547	FURNITURE AND FIXTURE Less: Cost of assets sold/written off (total) (Total Fourth column) Total of the Account Head	29,65,74,693 17,83,58,903 7,56,2, 94	19,65,74,693 17,87,58,903 7,56,20,494
4.	3549	Expenditure Recoverable from Govt. of India/International Agencies for. (a) (g) Total (Fourth Column)	Plot project under NABARD Credit Project CEIBAF Project 3,40,51,104	Pilot project under NABARD Credit Project CEC-BAIF Project 3,40,51,140
5.	3550	GIFTS, GRANTS, DONATIONS AND BENEFACTIONS (ii)	Grants to RRBs/SLDBs received from RBI towards GOI share under ARDR scheme 1999	Grants to RRBs/SCBs/ SLDBs received from RBI towards GOI share under ARDR scheme 1999
6.	3550	Subtotal ,,	1,67,72,370 9,34,95,971	— —
7.	3550	DEPOSITS (ii) State Government Subtotal	9,452,000 3,27,55,51,560	9,24,52,000
8.	3551	Subtotal	9,39,39,0. 23	939,39,02,123
9.	3552	BONDS AND DEBENTURES Total	1369,65,11,000	1369,65,11,000
10.	3552	Commitments on account of capital contracts remaining to be executed	9 .85	94 .85
11.	3554	Title	FUNDS AND LIABILITIES	
12.	3554	Total of Interest paid	696,37,61,312	699,37,61,312
13.	3554	Below Audit fees	Carried forward 980,91,03,350 8,36,06,15.999	— —
14.	3557	Para No. 10	The value of Allotment letters/debentures scrips yet to be received as on 31 March 1992	The value of Allotment letters/debentures scrips yet to be received as on 31 March 1999

C.K. DESAI
Manager
Secretary's Dept
NABARD

NATIONAL HOUSING BANK

(wholly owned by Reserve Bank of India)

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 1989.

New Delhi-110003, the 1st January 2000

No. NHB. HFC DIR. 11/CMD-99.—In exercise of the powers conferred by Section 30 and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 1989 (hereinafter referred to as the principal Directions), shall, with immediate effect, be further amended in the following manner, namely :

Amendment of paragraph 2

1. In Paragraph (2), in sub-paragraph (1) of the principal Directions,

(i) after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely :—

"(da) "public deposit" means a deposit but does not include the following, namely :—

(i) any amount received from the Central Government or a State Government or any amount received from any another source and whose repayment is guaranteed by the Central Government or a State Government or any amount received from a local authority or any public housing agency, or a foreign Government or any other foreign citizen, authority or person;

(ii) any amount received from the National Housing Bank, established under the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), or the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964) or the Life Insurance Corporation of India established under the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Corporation of India and its subsidiaries established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972) or the Small Industries Development Bank of India established under the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989) or the Unit Trust of India established under the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) or National Bank for Agriculture and Rural Development established under the National Bank for Agriculture and Rural Development Act, 1982 or an Electricity Board constituted under the Electricity (Supply) Act, 1948 or the Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd., or the National Industrial Development Corporation of India Ltd., or the Industrial Credit & Investment Corporation of India Ltd., or the Industrial Finance Corporation of India Ltd., or the Industrial Investment Bank of India Ltd., or State Trading Corporation of India Ltd., or the Rural Electrification Corporation Ltd., or the Minerals and Metals Trading Corporation of India Ltd., or the Agricultural Finance Corporation Ltd., or the State Industrial and Investment Corporation of Maharashtra Ltd. or the Gujarat Industrial Investment Corporation Ltd., or Asian Development Bank or International Finance Corporation or the Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) or Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) or any other institution that may be specified by the National Housing Bank in this behalf:

(iii) any amount received by a housing finance company from another company;

(iv) any amount received by way of subscription to any share, stock bonds or debentures pending the allotment of the said shares, stock, bonds or debentures and any amount received by way of calls in advance on shares, in accordance with the Articles of Association of the housing finance company so long as such amount is not repayable to the members under the Articles of Association of the housing finance company;

(v) any amount received from a person who at the time of receipt of the amount was a Director of the housing finance company or any amount received from its shareholders by a private housing finance company or by a private housing finance company which has become a public housing finance company under section 43A of the Companies Act, 1956 and continues to include in its Articles of Association provisions relating to the matters specified in clause (iii) of sub-section (1) of section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956):

Provided that the Director or shareholder, as the case may be, from whom the money is received furnishes to the housing finance company at the time of giving the money, a declaration in writing to the effect that the amount is not being given out of funds acquired by him by borrowing or accepting from others;

(vi) any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by the mortgage of any immovable property of the housing finance company; or by any other asset or with an option to convert them into shares in the housing finance company provided that in the case of such bonds or debentures secured by mortgage of any immovable property or secured by other assets, the amount of such bonds or debentures shall not exceed the market value of such immovable property/other assets;

(vii) any amount brought in by the promoters by way of unsecured loan in pursuance of stipulations of lending institutions subject to the fulfilment of the following conditions, namely :—

(a) the loan is brought in pursuance of the stipulation imposed by the lending public financial institution in fulfilment of the obligation of the promoters to contribute such finance,

(b) the loan is provided by the promoters themselves and/or by their relatives, and not from their friends and business associates, and

(c) the exemption under this sub-clause shall be available only till the loan of the lending public financial institution is repaid and not thereafter;

(db) "lending public financial institution" means :—

(i) a public financial institution specified in or under section 4A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956); or

(ii) a State Financial Corporation or a State Industrial Investment Corporation; or

(iii) a scheduled commercial bank; or

(iv) the General Insurance Corporation of India established in pursuance of the provisions of section 9 of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 (57 of 1972); or any other Institution which the National Housing Bank may, by notification, specify in this behalf".

(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

"(h) "securities" means securities as defined in section 2(h) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956)".

Omission of Paragraph 3

2. Paragraph 3 of the principal Direction shall be omitted

Amendment of Paragraph 3A

3. In paragraph 3A, in Explanation (1), in clause (a), for the words, "the aggregate of the paid up equity capital and free reserves" the following shall be substituted, namely—

"the aggregate of the paid up equity capital including the paid up preference shares which are compulsorily convertible into equity capital and free reserves"

Substitution of paragraph 4

4. For paragraph 4 of the principal Directions, the following shall be substituted, namely —

"4. Acceptance of deposits—

(1) Minimum Credit Rating—

On and from January 1, 1999,

(i) no housing finance company having net owned fund (hereinafter referred to as 'NOF') of twenty five lakh of rupees and above shall accept public deposits unless it has obtained credit rating for fixed deposits not below 'A' from any one of the approved rating agencies at least once a year and a copy of the rating is sent to the National Housing Bank along with return on prudential norms;

(ii) in the event of upgradation or downgradation of credit rating of any housing finance company to any level from the level previously held by the housing finance company, it shall within fifteen working days of its being so rated inform, in writing, of such upgradation/downgradation of the National Housing Bank.

Approved Credit Rating Agencies

The names of approved credit rating agencies for the time being are as follows :—

Name of the agency

(a) The Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL)

(b) ICRA Ltd.

(c) Credit Analysis & Research Ltd. (CARE)

(d) Duff & Phelps Credit Rating India Private Ltd. (DCR) India)

(2) Period of deposit—

On and from January 1, 1999, no housing finance company shall accept or renew any public deposit whether accepted before or after January 1, 1999 :

(a) which is repayable on demand or on notice, or

(b) unless such deposit is repayable after a period of twelve months or more but not later than eighty four months from the date of acceptance or renewal of such deposits

Provided that the public deposits accepted by a housing finance company before January 1, 1999 shall, unless renewed in accordance with these Directions, be repaid in accordance with the terms of such deposits.

Explanation

Where a public deposit is in instalments, the period of such deposit shall be computed from the date of receipt of first Instalment.

(3) Restriction on acceptance or renewal of deposits in excess of ceiling as stipulated and regularisation of deposits accepted earlier and held in excess of the ceilings.

(i) On and from January 1, 1999, no housing finance company having NOF of—

(a) less than twenty five lakhs of rupees; or

(b) twenty five lakhs of rupees and above but having credit rating below 'A',

shall accept or renew public deposit except to the extent specified in Sub Paragraph (4);

(ii) On and from January 1, 1999, no housing finance company—

(a) which has been issued a certificate of registration in terms of paragraph 3A and which certificate has not been cancelled by the National Housing Bank or which has applied for the registration in terms of that paragraph and the same is pending consideration with the National Housing Bank, and

(b) which has NOF of twenty five lakhs of rupees and above and having credit rating not below 'A'

shall have deposits inclusive of public deposits, the aggregate amount of which together with the amounts, if any, held by it which are referred in sub-clauses (iii) to (vii) of clause (bb) of Section 45I of the Reserve Bank of India Act, 1934 as also loans or other assistance from the National Housing Bank, is in excess of the limits specified below :

Housing finance companies having NOF	Deposits as multiple of the NOF
upto Rs. 10 Crores	10 times
Above Rs. 10 Crores but below Rs. 20 crores	11 times
Rs. 20 crores and above	12 times

Provided that public deposits of a housing finance company shall not exceed five times of its NOF.

(4) Regularisation of the deposits accepted earlier and held in excess of the permissible extent

Where a housing finance company holds as at the commencement of business on January 1, 1999 deposits in excess of the limits specified above, it shall :—

(a) not accept fresh deposit or open new deposit account; or

(b) not renew the existing deposit after September 30, 2000 or where the deposits are received under any recurring scheme, receive Instalments under such scheme after the expiry of the scheme period;

(c) reduce such excess deposit by repayment on maturity after September 30, 2000.

(5) Downgrading of Credit Rating

In the event of downgradation of the credit rating to any level below A' from the level earlier held by the housing finance company, it shall—

(i) report the position within fifteen working days to the National Housing Bank;

(ii) with immediate effect stop accepting any fresh deposit and shall not renew existing deposit after the expiry of one year from the date of such downgradation of the credit rating : and

(iii) repay the amount of excess deposits within a period of one year or such further period as may be extended by the National Housing Bank.

(6) Joint Deposits

Where so desired, deposits may be accepted in joint names with or without any of the clauses, namely, "Either or Survivor", "Number One or Survivor/s", "Anyone or Survivor/s"

Substitution of paragraph 5

5. For paragraph 5 of the principal Directions, the following shall be substituted namely

"5. Particulars to be specified in application form soliciting public deposits

(i) On and from January 1, 1999, no housing finance company shall accept or renew any public deposit except on a written application from the depositors in the form to be supplied by the housing finance company, which form shall contain all the particulars specified in the Non-Banking Financial Companies and Miscellaneous Non-Banking Companies (Advertisement) Rules, 1977, made under section 58A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and also contain the particulars of the specific category of the depositors, i.e. whether the depositor is a shareholder or a director or a promoter of the housing finance company or a member of public.

(ii)The application form shall also contain the following :—

(a) the credit rating assigned for its deposits and the name of the credit rating agency which rated the housing finance company;

(b) a statement to the effect that in case of any deficiency of the housing finance company in servicing it's deposits, the depositor may approach the National Consumers Disputes Redressal Forum, the State Level Consumers Disputes Redressal Forum or the District Level Consumers Dispute Redressal Forum for relief;

(c) a statement to the effect that the financial position of the housing finance company as disclosed and the representations made in the application form are true and correct and that the housing finance company and its Board of Directors are responsible for the correctness and veracity thereof;

(d) a statement to the effect that the deposit acceptance activities of the housing finance company are regulated by the National Housing Bank. It must, however, be distinctly understood that the National Housing Bank does not undertake any responsibility for the financial soundness of the housing finance company or for the correctness of any of the statements or the representations made or opinions expressed by the housing finance company; and for repayment of deposit/discharge of liabilities by the housing finance company;

(e) at the end of application form but before signature of the depositor, the following verification clause by the depositor shall be appended. 'I have gone through the financial and other statements/particulars/representations furnished/made by the housing finance company and after careful consideration I am making the deposit with the housing finance company at my own risk and volition".

Amendment of Paragraph 6

6. In paragraph 6 of the principal Directions, in sub-paragraph (2), the following proviso shall be inserted, namely—

"Provided that, if such receipts pertain to Instalments subsequent to the first Instalment of a recurring deposit it may contain only name of the depositor/s date and amount of deposit"

Amendment of Paragraph 7

7. In paragraph 7 of the principal Directions,—

(i) in sub-paragraph (1), after clause (e), the following shall be inserted, namely—

"(ea) date of claim made by the depositor

(eb) the reasons for delay in repayment beyond five working days, and"

(ii) in sub-paragraph (2) for the words "ten years", the words "eight years" shall be substituted

Amendment of Paragraph 8

8. In paragraph 8 of the principal Directions, in sub-paragraph (1) the existing clauses (a) and (b) shall be substituted by the following, namely—

"(a) the total number of accounts of public deposit of the housing finance company which have not been claimed by the depositors or not paid by the housing finance company after the date on which the deposit became due for re-payment; and

(b) the total amounts due under such accounts remaining unclaimed or unpaid beyond the dates referred to in clause (a) as aforesaid"

Substitution of Paragraph 9

9. For paragraph 9 of the principal Directions, the following shall be substituted, namely :—

"9 Ceiling on the rate of interest and brokerage and interest on over due public deposits

(1) On and from January 1, 1999, no housing finance company shall :—

(a) invite or accept or renew any public deposit on a rate of interest exceeding fifteen per cent per annum. Interest may be paid or compounded at rests which shall not be shorter than monthly rests.

Notwithstanding anything contained herein, a housing finance company is free to determine the rate of interest on public deposits, if the housing finance company obtains a certificate from the National Housing Bank that it complies with the provisions of these Directions, Guidelines and other instructions issued by the National Housing Bank from time to time to housing finance companies.

(b) pay to any broker on public deposit collected by or through him,

(i) brokerage, commission, incentive or any other benefit by whatever name called, in excess of two per cent of the deposit so collected;

(ii) expenses by way of reimbursement on the basis of relative vouchers/bills produced by him, in excess of 0.5 per cent of the deposit so collected.

(2) Payment of interest on overdue deposit

A housing finance company may, at its discretion, allow interest on an overdue public deposit or a portion of the said overdue deposit from the date of maturity of the deposit subject to the conditions that—

(i) the total amount of overdue deposit or the part thereof is renewed in accordance with other relevant provisions of these Directions, from the date of its maturity till some future date, and

(ii) the interest allowed shall be at the appropriate rate operative on the date of maturity of such overdue deposit which shall be payable only on the amount of deposit so renewed

Provided that where a housing finance company fails to repay the deposit along with interest on maturity on the claim made by the depositor, the housing finance company shall pay interest from the date of claim till the date of repayment at the rate as applicable to the deposit."

Amendment of Paragraph 10

10. In paragraph 10 of the principal Directions

(i) the word "deposit" or "deposits" wherever they occur shall be substituted by the words "public deposit" or "public deposits".

(ii) in sub clause (c) of clause (ii), for the words, "One percentage point less than the contracted rate" the following words shall be substituted, namely :—

"One percentage point less than the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such deposit had run."

Amendment of Paragraph 10A

11. In paragraph 10A of the principal Directions, :—

(i) the word "deposit" wherever occur shall be substituted by the words "public deposit".

(ii) for clause (ii), the following shall be substituted, namely :—

"(ii) the interest on the expired period of the public deposit is reduced by one percentage point from the rate at which the housing finance company would have ordinarily paid, had the deposit been accepted for the period for which such public deposit had run ; any interest paid earlier in excess of such reduced rate is recovered/adjusted."

Amendment of Paragraph 11

12. In paragraph 11 of the principal Directions, sub-paragraph (1), shall be substituted by the following, namely :—

"(1) Every housing finance company shall :

(a) invest and continue to invest in India in unencumbered approved securities, valued at a price not exceeding the current market price of such securities, an amount which, at the close of business on any day, shall not be less than five per cent and which shall not be less than six per cent from April 1, 1999, or such higher percentage not exceeding twenty five per cent, as the National Housing Bank may, from time to time and by notification in the Official Gazette, specify, of the public deposits outstanding at the close of business on the last working day of the second preceding quarter ·

(b) maintain in India (i) in an account with a scheduled bank in term deposits or Certificates of deposits (both free of charge or lien) or (ii) in deposits with the National Housing Bank or (iii) by way of subscription to the bonds issued by the National Housing Bank, or partly in such an account or in such deposit or partly by way of such subscription, a sum which, at the close of business on any day, together with the investment made under clause (a) above shall not be less than ten per cent and which shall not be less than twelve and a half per cent from April 1, 1999 or such higher percentage not exceeding twenty five per cent, as the National Housing Bank may, from time to time and by notification ini the Official Gazette specify, of the public deposits outstanding in the books of the housing finance company at the close of business of the last working day of the second preceding quarter."

Amendment of Paragraph 11A

13. In paragraph 11A of the principal Directions, sub-paragraph (1), shall be substituted by the following, namely :—

"(1) every housing finance company shall entrust to one of the scheduled commercial banks designated by it on that behalf, in the place where the registered office of the housing finance company is situted, the unencumbered approved securities required to be maintained by it in pursuance of clause (a) of sub-paragraph (1) of paraaraph 11 of these Directions"

Insertion of New Paragraph 11C

14. After Paragraph 11B of the principal Directions, the following paragraph shall be inserted, namely :—

'11C. Employee Security Deposit.—A housing finance company receiving any amount in the ordinary course of its business as security deposit from any of its employees for due performance of his duties shall keep such amount in an account with a scheduled commercial bank or in a post office in the joint names of the employee and the housing finance company on the conditions that—

(1) it shall not withdraw the amount without the consent in writing of the employee : and

(2) the amount shall be repayable to the employee along with interest payable on such deposit account unless such amount or any part thereof is liable to be appropriated by the housing finance company for the failure on the part of the employee for due performance of his duties."

Amendment of Paragraph 12

15. In paragraph 12 of the principal Directions, the following words shall be added at the end, namely—

"as also a copy of the report and the notes on accounts furnished by its Auditors."

Amendment of Paragraph 13

16 Paragraph 13 of the principal Directions, shall be substituted by the following, namely :—

"13 Auditor's Certificate and provisions for submitting Auditor's certificate—

Every housing finance company shall furnish to the National Housin Bank, alongwith the copy of the audited balance sheet as provided under paragraph 12, a copy of the Auditor's Report to the Board of Directors and a certificate from its auditors, being members of the Institute of Chartered Accountants of India, to the effect that—

(1) Whether the housing finance company has applied for registration as provided in Paragraph 3A of these Directions, if it is a company incorporated before September 17, 1997 and whether it has received any communication from National Housing Bank about the grant of or refusal of certificate of registration to it, and whether the housing finance company has obtained a certificate of registration from the National Housing Bank if it is a company incorporated on or after September 17, 1997.

(2) In the case of a housing finance company accepting/having public deposits,—

(i) whether the public deposits accepted by the housing finance company together with other borrowings indicated below viz.,

(a) from public by issue of unsecured non-convertible debentures/bonds,

(b) from its share-holders by a public limited company, and

(c) any other type of deposit which has not been excluded from the definition of public deposit

are within the limits admissible to the company as per the provisions of these Directions.

(ii) whether the credit rating for deposits i.e.———— (mention the rating) assigned by the Credit Rating Agency viz. ———— (Name of the agency) on ————(the date) is in force and the aggregate amount of deposits outstanding as at any point during the year has exceeded the limit specified by the Rating Agency,

(iii) whether the housing finance company has defaulted in paying to its depositors the interest and/or principal amount of the deposits after such interest and/or principal became due,

(iv) whether the capital adequacy ratio as disclosed in the return submitted to the National Housing Bank in terms of the National Housing Bank's Guidelines to Housing Finance Companies on prudential norms for income recognition, accounting standards, assets classification, provisioning for bad and doubtful debts, capital adequacy and concentration of credit/investment, has been correctly determined and whether

such ratio is in compliance with the minimum Capital to Risk/Asset Ratio prescribed by the National Housing Bank in these Guidelines.

(v) whether the housing finance company has complied with the prescribed liquidity requirement and kept the approved securities with a designated bank,

(vi) whether the housing finance company has furnished to the National Housingg Bank within the stipulated period the half-yearly return on prudential norms as specified in the National Housing Bank's Guidelines to Housing Finance Companies on prudential norms for income recognition, accounting standards, assets classification, provisioning for bad and doubtful debts, capital adequacy and concentration of credit/investments.

(vii) whether the housing finance company has furnished to the National Housing Bank within the stipulated period the return on deposits as specified in the Schedule to these Directions.

(viii) whether full amount of liabilities to the depositors of the housing finance company, including interest payable thereon, are properly reflected in the balance sheet, and that the company is in a position to meet the amount of such liabilities to the depositors.

(3) In the case of a housing finance company not accepting public deposits—

(i) whether the Board of Directors has passed a resolution for the non-acceptance of public deposits,

(ii) whether the housing finance company has accepted any public deposits during the relevant period/year, and

(iii) whether the housing finance company has complied with the prudential norms relating to income recognition, accounting standards, asset classification and provisioning for bad and doubtful debts as applicable to it.

(4) Where, in the auditor's report, the statement regarding any of the items referred to in sub-paragraphs 1 to 3 above is unfavourable or qualified, the auditor's report shall also state the reasons for such unfavourable or qualified statement, as the case may be Where the auditor is unable to express any opinion on any of the items referred to in paragraph 1 to 3 above, the auditor's report shall indicate such fact together with reasons therefor."

Amendment of Paragraph 14

17. In paragraph 14 of the principal Directions,—

(i) in sub-paragraph (1), clause (ii) shall be omitted.

(ii) in sub-paragraph (2), in clause (i) after sub-clause (a), the following shall be added, namely—

"(aa) the complete postal address, telephone number/s and fax number/s of the registered/corporate office ;

(ab) the names and office address of the auditors of the company."

Amendment of Paragraph 16

18. In paragraph 16 of the principal Directions,—

(i) sub-paragraph (1), for the words "every housing finance company" the words "every housing finance company soliciting public deposits" shall be substituted ;

(ii) sub-paragraph (2),—

(a) for the words "where a housing finance company intends to accept deposit/s" the words "where a housing finance company intends to accept public deposits" shall be substituted ;

(b) the following words shall be added at the end, namely—

"as also the particulars stated in sub-paragraph (1) hereinabove, duly signed in the manner provided in the aforesaid Rules."

(iii) sub-paragraph (3),—

for the words "A statement, delivered under sub-paragraph (1)", the words "A statement, delivered under sub-paragraph (2)" shall be substituted.

P. P. VORA
Chairman

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 29th December, 1999

No. U-16/53/PTMR/Karnt./99-Med.II :—In pursuance of the Resolution passed by E.S.I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise Dr. M. Rajshekar to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms from the date he assumes charge for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres Bellary Distt. Karnataka for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 19th January 2000

No. 13-CA(EXAM)/M/2000—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Foundation, Intermediate and Final Examinations will be held on the dates given below at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :—

FOUNDATION EXAMINATION (As per syllabus contained in Para 1A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

6th, 8th, 9th and 10th May, 2000.

(Morning Session—8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INTERMEDIATE EXAMINATION (As per syllabus contained in Para 2A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

Group I : 2nd, 3rd and 4th May, 2000.

Group II : 5th, 6th and 8th May, 2000.

(Afternoon Session—12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION (As per syllabus contained in Para 3A of Schedule 'B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988).

Group I : 2nd, 3rd, 4th, and 5th May, 2000.

Group II : 6th, 8th, 9th and 10th May, 2000.

(Morning Session—8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST).

EXAMINATION CENTRES:

(i) CENTRES IN INDIA:

(1) Agra
(2) Ahmedabad
(3) Ajmer
(4) Allahabad
(5) Alleppey
(6) Alwar
(7) Ambala
(8) Amritsar
(9) Asansol
(10) Aurangabad
(11) Bangalore
(12) Baroda
(13) Belgaum
(14) Bhopal
(15) Bhubaneswar
(16) Calcutta
(17) Calicut
(18) Chandigarh
(19) Chennai
(20) Coimbatore
(21) Cuttack
(22) Dehradun
(23) Delhi/New Delhi
(24) Dhanbad
(25) Ernakulam
(26) Faridabad
(27) Gauhati
(28) Ghaziabad
(29) Goa
(30) Gwalior
(31) Hisar
(32) Hyderabad
(33) Indore
(34) Jabalpur
(35) Jaipur
(36) Jammu
(37) Jamshedpur
(38) Jodhpur
(39) Kanpur
(40) Kolhapur
(41) Kota
(42) Kottayam
(43) Lucknow
(44) Ludhiana
(45) Madurai
(46) Mangalore
(47) Mathura
(48) Meerut
(49) Mumbai
(50) Mysore
(51) Nagpur
(52) Nasik
(53) Patna
(54) Pune
(55) Raipur
(56) Rajkot
(57) Ranchi
(58) Rohtak
(59) Salem
(60) Shimla
(61) Siliguri
(62) Solapur
(63) Surat
(64) Tiruchirapalli
(65) Trichur
(66) Trivandrum
(67) Udaipur
(68) Varanasi
(69) Vijayawada
(70) Visakhapatnam
(71) Yamuna Nagar.

(ii) OVERSEAS CENTRES:

(1) Dubai (UAE) (2) Kathmandu (Nepal)

Payment of fees for the examinations should be made only by Demand Draft. The Demand Drafts may be of any Nationalised Bank and should be drawn in favour of the Secretary The Institute of Chartered Accountants of India payable at New Delhi only.

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason.

Applications for admission to these examinations are required to be made on the relevant prescribed form, copies of which may be obtained from the Additional Secretary (Examinations), The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 20/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch offices of the Institute and can be obtained on cash payment.

Applications together with the necessary certificates and the prescribed fee by Demand Draft

of any nationalised bank may be sent so as to reach the Additional Secretary (Examinations) at New Delhi as per dates given below:

Foundation Examination	: 14th February, 2000 (without late fee) 21st February, 2000 (with late fee of Rs. 50/-)
Final Examination	: 18th February, 2000 (without late fee) 25th February, 2000 (with late fee of Rs. 50/-).
Intermediate Examination	: 23rd February, 2000 (without late fee) 1st March, 2000 (with late fee of Rs. 50/-)

Applications will also be received by hand delivery at the offices of the Institute at New Delhi and at the Decentralised Offices of the Institute at Mumbai, Calcutta, Chennai, Kanpur, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, Pune and Jaipur as per dates given above except that application with late fee will be received by post/hand only at New Delhi office of the Institute.

Candidates residing in these cities are advised to take advantage of this facility.

The fees payable for the various examinations are as under :—

FOUNDATION EXAMINATION :

Fee	Rs. 500.00

INTERMEDIATE EXAMINATION :

For Both the Groups	Rs. 600/-
For One of the Groups	Rs. 350/-
For *Unit 1	Rs. 350/-
For *Unit 2	Rs. 350/-
For *Unit 3	Rs. 300/-
For *Unit 4	Rs. 350/-

* The expression 'UNIT' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one but not in both the groups of the Intermediate Examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in paragraph 2-A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations, 1988 are required to appear and pass.

FINAL EXAMINATION :

For Both Groups	Rs. 700/-
For One of the Groups Only	Rs. 400/-
** Unit—Consisting of upto 2 papers	Rs. 275/-
** Unit—Consisting of more than 2 papers; but upto 4 papers	Rs. 350/-
** Unit—Consisting of 5 or more papers	Rs. 600/-

** The expression 'UNIT' is a set of papers in which candidates, who have passed in any one or more but not in all the groups of the Final Examination under syllabus as specified in Schedules 'B' or 'BB' of Chartered Accountants Regulations, 1964, prior to November, 1986 are required to appear in and pass together in the remaining corresponding papers under the new syllabus as per para 3A of Schedule 'B' to Chartered Accountants Regulations, 1988.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Dubai centre are required to remit US $ 70, US $ 80 and US $ 100 respectively or its equivalent relevant Indian Currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

Candidates of Foundation, Intermediate and Final Examinations opting for Kathmandu centre are required to remit Rs. 750/- or its equivalent relevent foreign currency irrespective of whether the candidates appear in a single paper, in a group, in a unit or in both the groups.

OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI

Candidates of Foundation, Intermediate and Final, Examinations will be allowed to use the Hindi medium for answering papers. Detailed information will be found printed in the Information sheets attached to the relevant application form.

JAGDAMBA PRASAD
Additional Secretary (Exams).

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 2000